



झारखण्ड खेल प्राधिकरण

बिरसा मुण्डा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी, राँची
sajha9@gmail.com Phone No.: 0651.2550522



बिरसा मुण्डा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी राँची स्थित दुकानों को पूर्व खिलाड़ियों को व्यवसाय हेतु किराया पर उपलब्ध कराने हेतु आवेदन आमंत्रण

झारखण्ड राज्य के लब्धप्रतिष्ठित पूर्व खिलाड़ीगण जिन्होंने ओलिंपिक, वर्ल्ड कप, कामनवेल्थ अथवा एशियन गेम्स में से कम-से-कम एक प्रतियोगिता में भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त किसी भी खेल में एकल अथवा टीम के सदस्य में रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, व अब तक अनियोजित हों, से व्यवसाय हेतु दुकान न्यूनतम किराये पर उपलब्ध करवाने हेतु पूर्व में विज्ञापन प्रकाशित किये जाते रहे हैं। किन्तु आवेदन नहीं के बराबर प्राप्त हुआ। अतएव पूर्व खिलाड़ियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पुनः विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. आवेदक झारखण्ड के मूल निवासी हों।
2. आवेदक की दिनांक 20.02.2018 को उम्र 45 वर्ष से कम नहीं हों।
- 3- आवेदक अनियोजित हों, व सभी श्रोतों से कुल सालाना आय रु. 1,00,000/- से अधिक न हो।
4. आवेदक स्वयं, अथवा परिवार के किसी सदस्य (पुत्र, अविवाहित पुत्री अथवा पत्नी) के माध्यम से व्यवसाय करने को इच्छुक व सक्षम हो।
5. उपर्युक्त के अनुसार सुयोग्य आवेदकगण दिनांक 20 फरवरी, 2018 की सांय 03:00 बजे तक विभागीय ई-मेल sajha9@gmail.com पर पोस्ट कर सकते हैं।
6. आवेदन के साथ निम्नांकित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है -
 - (क) अपना जीवन-वृत्त जिसमें खेल सम्बन्धी उपलब्धियाँ विस्तार से अंकित हों,
 - (ख) पारिवारिक सूची जिसमें आश्रितों के नाम, उम्र, वैवाहिक स्थिति तथा नियोजन का विवरण हो,
 - (ग) शपथ-पत्र के माध्यम से चल-अचल सम्पत्ति व सभी श्रोतों से सालाना आय सम्बन्धी विवरण
 - (घ) उक्त आवेदन के माध्यम से प्राप्त होने वाले दुकान में व्यवसाय की योजना का विस्तृत विवरण
 - (ङ) प्रस्तावित व्यवसाय हेतु आवश्यक पूँजी के उपलब्ध श्रोत का विवरण,
 - (च) खेल के अतिरिक्त व्यवसाय/रोजगार सम्बन्धी अनुभव सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो,
 - (छ) शपथ-पत्र के माध्यम से घोषणा कि उक्त दुकान के आवंटित होने की स्थिति में आवेदक स्वयं, अथवा परिवार के किसी सदस्य (पुत्र, अविवाहित पुत्री अथवा पत्नी) के माध्यम से व्यवसाय करेंगे, उसे किसी अन्य को किराये पर उपलब्ध नहीं कराएँगे, व ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा, व झारखण्ड खेल प्राधिकरण उसे अपने कब्जे में ले लेगी।
7. यह आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है, व पूर्व खिलाड़ियों के सम्मान व कल्याणार्थ है।
8. आवेदन का विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट www.sajha.in पर उपलब्ध है।
9. किसी भी अथवा सभी आवेदनों को अथवा आवंटन प्रक्रिया को रद्द करने, पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से संशोधित करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।

कार्यकारी निदेशक
झारखण्ड खेल प्राधिकरण।



झारखण्ड खेल प्राधिकरण

बिरसा मुण्डा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी, राँची।

sajha9@gmail.com phone No- 0651-2550522



बिरसा मुण्डा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी, राँची स्थित दुकानों को पूर्व खिलाड़ियों को व्यवसाय हेतु किराया पर उपलब्ध कराने हेतु आवेदन आमंत्रण

(जमा करने की अंतीम तिथि 20 फरवरी, 2018)

आवश्यक अनुलग्नकों का विवरण							
आधार/पैन	वोटर कार्ड	जीवन-वृत्त	पारिश्रमिक सूची	व्यवसाय योजना का विस्तृत विवरण	पूँजी श्रोत का विस्तृत विवरण	शपथ पत्र (आय व सम्पत्ति सम्बन्धी)	शपथ पत्र (दुकान का स्वयं उपयोग सम्बन्धी)
संलग्न अनुलग्नक में सही ✓ का निशान लगाएँ							

1. आवेदक पूर्व खिलाड़ी का पूरा नाम :
(बड़े व साफ देवनागरी लिपि में)
(केवल बड़े रोमन लिपि में)
2. जन्म तिथि/उम्र :
3. आधार संख्या :
4. सभी श्रोतों से कुल सालाना आय :
5. वर्तमान आय के श्रोत :
6. आश्रितों की संख्या/नाम/व्यवसाय :
7. वर्तमान आवासीय पता :
8. स्थायी आवासीय पता :
9. मूल निवास का राज्य :
10. व्यवसाय कौन करेगा : नाम/सम्बन्ध :
(यदि उक्त दुकान का आवंटन प्राप्त हो सके)
11. कोई अन्य विवरण, जिसका उल्लेख आवश्यक हो :
12. आवेदक का मोबाईल सं०/ई-मेल पता :

आवेदक के द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। भविष्य में यदि कभी ऐसा पाया जाता है कि दी गई कोई भी जानकारी गलत है, तो आवंटन सम्बन्धी आवेदन अथवा आवंटन रद्द किया जा सकता है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर